पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1516 /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक : 8 /07/2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 03.07.2010 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

01.	प्रो. एस.के. पाण्डेय	–	अध्यक्ष
02.	डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह	–	सदस्य
03.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
04.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
05.	डॉ. ए.के. पति	–	सदस्य
06.	डॉ. विभूति रॉय	–	सदस्य
07.	डॉ. एस.के. सिंह	–	सदस्य
08.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
09.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
10.	डॉ. सुबीर कुमार मुखर्जी	–	सदस्य
11.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
12.	डॉ. उज्जवल पाटनी	–	सदस्य
13.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
14.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
15.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
16.	डॉ. शिव कुमार डहरिया	–	सदस्य
17.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक प्रारंभ होने के पूर्व डॉ. शलभ कुमार तिवारी पूर्व कार्यपरिषद् सदस्य को उनके द्वारा कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में प्राप्त सहयोग एवं योगदान हेतु कार्यपरिषद् ने आभार प्रकट किया।

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गए :–

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.05.2010 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2010 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय परिनियम 27 में सम्बद्धता संबंधी शुल्क प्रावधानों के संशोधन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिनियम–27 में सम्बद्धता संबंधी शुल्क प्रावधानों के संशोधन संबंधी प्रस्ताव का (परिनियम 27(10)(2) को छोड़कर) अनुमोदन किया गया। परिनियम 27(10)(2) के संबंध में परीक्षण कर पुनः प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

03. विश्वविद्यालय प्रेस के लिए आफसेट प्रिंटिंग मशीन क्रय किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय प्रेस के लिए आफसेट प्रिंटिंग मशीन क्रय करने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आफसेट प्रिंटिंग स्थापित करने के बाद इसमें स्थापना संबंधी व्यय एवं मुद्रण से संबंधित विश्वविद्यालय के समस्त कार्य जो बाजार से कराया जाता है, में आने वाले व्यय का आकलन कर, तुलनात्मक विवरण के साथ प्रस्तुत किया जावे।

04. छ.ग. संवाद द्वारा उत्तर पुस्तिका निर्माण करने के बाद प्रस्तुत देयक की राशि रू. 1,06,58,660/– की भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छ.ग. संवाद द्वारा उत्तर पुस्तिका निर्माण करने के बाद प्रस्तुत देयक की राशि रू. 1,06,58,660/– के विरूद्ध बजट प्रावधान के अंतर्गत रूपये एक करोड़ मात्र भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

05. सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पर विचार करना।

निर्णय : सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2010 के विषय क्रमांक 8 पर हुए निर्णय (1) महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता वापस ली जावे एवं बिंदु क्रमांक (3) नए पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाय, को यथावत् रखी जावे। बिंदु क्रमांक (2) में, जिसमें महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में 2010–11 में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाय -- के संबंध में निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी किया जाय कि परिनियम 27, परिनियम 28 की पूर्ति हेतु सार्थक पहल करते हुए तीन माह के अंदर पूर्ति करेंगे। महाविद्यालय सम्पूर्ण उत्तर शपथ–पत्र में प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात् विश्वविद्यालय प्रशासन प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंध को शिथिल करने के संबंध में उचित निर्णय लेगा।

06. 50 महाविद्यालयों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई एवं 17 महाविद्यालय जिन्हें अभी भी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए प्रवेश प्रतिबंध जारी रखा गया है, के संबंध में संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त जवाब की समीक्षा करते हुए निर्णय लेने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

पूरक विषयसूची

01. आर.आई.टी.ई. छतौना, रायपुर में संचालित बी.एस–सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में सत्र 2008–09 में प्रथम वर्ष एवं सत्र 2009–10 में द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : आर.आई.टी.ई. छतौना, रायपुर में संचालित बी.एस–सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में सत्र 2008–09 में प्रथम वर्ष एवं सत्र 2009–10 में द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर विधिक अभिमत लेकर आगामी कार्यवाही की जावे।

02. तकनीकी अधिकारी/माइक्रोएनालिस्ट पद को लोक सेवा श्रेणी वर्ग दो में सम्मिलित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि तकनीकी अधिकारी/माइक्रोएनालिस्ट पद को लोकसेवा श्रेणी वर्ग–दो में सम्मिलित करने संबंधी अनुशंसा सहित शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

03. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अंतर्गत पूर्व वर्ष की भांति आवश्यकतानुसार शिक्षकों की पुनः संविदा नियुक्ति करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : कार्यपरिषद् प्रस्ताव से सहमत है।

04. अशासकीय महाविद्यालयों के मूल्यांकन के फलस्वरूप टीचिंग स्टाफ के लिए निर्धारित 40 अंक में से 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले महाविद्यालय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अशासकीय महाविद्यालयों के मूल्यांकन के फलस्वरूप टीचिंग स्टाफ के लिए निर्धारित 40 अंक में से 30 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले एवं पर्याप्त अधोसंरचना नहीं होने वाले महाविद्यालयों में सत्र 2011–12 में प्रथम वर्ष में प्रतिबंध करने का अनुमोदन किया गया। टीचिंग स्टाफ एवं अधोसंरचना की पूर्ति 3 माह के भीतर पूरा कर सूचित करें।

05. छ.ग. आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर से संबंधित महाविद्यालयों के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर से संबंधित महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित (सत्र 2010–11 से) संबंधित विश्वविद्यालय के निर्णय को प्रकरण छत्तीगसढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के कारण वापस लेते हुए इस संबंध में आगामी कार्यवाही करने हेतु प्रकरण छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर को भेज दिया जावे। इस संबंध में कुलपति जी ने सम्माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की अध्ययन–अध्यापन एवं परीक्षा के संबंध में अनेक प्रकार से कठिनाइयां आती हैं। अतः पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की सभी परीक्षाएं छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने की अनुशंसा की गई।

06. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित Inspire Summer Camps conducted during 4-8 & 10-14 June 2010 में खर्च हुए राशि रू. 6.5 लाख की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित Inspire Summer Camps प्रोग्राम में हुए व्यय रूपये 6.5 लाख की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

07. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में व्याख्याता के 06 पद स्वीकृत करने एवं सत्र 2010–11 के अध्यापन हेतु संविदा आधार पर शिक्षक नियुक्त करने के संबंध में विचार कना।

निर्णय : शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में अध्ययन–अध्यापन के लिए सत्र 2010–11 के लिए विजिटिंग प्रोफेसर एवं गेस्ट लेक्चरर से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने हेतु अनुमोदन किया गया। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम बी.पी–एड्./एम.पी–एड्. में सीट वृद्धि की जावे। इसमें से 50 प्रतिशत सीट पेमेंट सीट रखा जावे। जिससे अध्ययन– अध्यापन में कोई कठिनाई न आवे।

08. जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग के प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधन समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावे कि कि कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित प्राचार्य को महाविद्यालय प्रबंधन आज तक नियुक्ति आदेश क्यों जारी नहीं किया। महाविद्यालय प्रबंधन के इस गंभीर कृत्य के लिये क्यों न महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता वापस ली जाये। इस संबंध में 15 दिवस के अंदर जवाब मांगा जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1. निम्नलिखित महाविद्यालय में परिनियम–28 के तहत प्राचार्यो की चयन हेतु आयोजित चयन समिति की अनुशंसा संबंधी लिफाफा खोला गया एवं चयन समिति की अनुशंसा मान्य की गई–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	प्राचार्य हेतु चयनित नाम
1	शंकराचार्य कालेज आफ नर्सिंग, हुडको, भिलाई	श्रीमती सिंधु अनिल मेनन
2	कालिन्दी महाविद्यालय, लालपुर, रायपुर	श्री सुखदेव राम साहू (नियुक्ति अवधि 01 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो।)

2. **श्री रमाकांत मिश्रा,** अधिवक्ता को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पैरवी हेतु विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कुलपति जी ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा वर्ष 2010 की अधिकांश परीक्षाफल घोषित कर दी गई है। कार्यपरिषद् की ओर से कुलपति जी को बधाई दी गई।

संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग के संबंध में भी कार्यपरिषद् के माननीय सदस्य डॉ. एस.के. मुखर्जी ने अवगत् कराया कि शारीरिक शिक्षा विभाग में संचालक नहीं होने से अनेक कार्य प्रभावित है, जबकि निकट भविष्य में खेलकूद संबंधी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होना है। अतः इस संबंध में तत्काल व्यवस्था की जाय। इस पर कुलपति जी ने अवगत कराया कि जिन्हें संचालक का पदभार सौंपा गया था, वे प्रभार लेने से इंकार कर रहे हैं। इस संबंध में कुलपति जी ने यह भी अवगत कराया कि अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर को, संचालक का प्रभार दिया जाना प्रस्तावित है।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति — अध्यक्ष

कुलसचिव — सचिव

पृ.क्र. : 1517 /अका./का.प./2010 — रायपुर, दिनांक : 9 /07/2010

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/ प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)